कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)

आदेश

क्रमांक 693 /एक–13–01/2013 **रायपुर, दिनांक 06 अगस्त 2024**

इस न्यायिक जिला स्थापना के अंतर्गत कोर्ट मैनेजर के अमले हेतु सृजित स्टेनोग्राफर हिन्दी (संविदा), सहायक ग्रेड–तीन (संविदा) में रिक्त 01–01 पदों की पूर्ति हेतु गठित परीक्षा सेल/भर्ती एवं नियुक्ति समिति, रायपुर द्वारा की गई अनुशंसा एवं प्रतिवेदन के आधार पर **स्टेनोग्राफर (हिन्दी) (संविदा कोर्ट मैनेजर स्टाफ)** के 01 पद हेतु मासिक वेतन रूपये 26,490/– (एकमुश्त छब्बीस हजार चार सौ नब्बे रूपये प्रतिमाह) एवं **क्लर्क (संविदा कोर्ट मैनेजर स्टाफ)** के 01 पद हेतु मासिक वेतन रूपये 18,000/– (एकमुश्त अठ्ठारह हजार रूपये प्रतिमाह) पर निम्नांकित चयनित अभ्यर्थीयों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नांकित शर्तों के अधीन पूर्णतः **अस्थायी** रूप से नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

क्र.	**अभ्यर्थी का नाम व पता**	**वर्ग**	**नियुक्ति का पद**
1	**2**	**3**	
1	**केशवशरण साहू,** पिता– श्री कमलेश साहू, पता– ग्राम व पोस्ट– मगरलोटा जिला– राजनांदगाँव (छ.ग.) पिन कोड– 491441	अनारक्षित (मुक्त)	स्टेनोग्राफर (हिन्दी) (संविदा कोर्ट मैनेजर स्टाफ)
2	**दानेश्वर कृष्ण कश्यप,** पिता– श्री खेमनाथ कश्यप, जयहिंद नगर, अकलतरा, वार्ड नंबर– 02, जिला– जांजगीर चांपा (छ.ग.) पिन कोड– 495552	(अनुसूचित जनजाति) मुक्त	क्लर्क (संविदा कोर्ट मैनेजर स्टाफ)

नियुक्ति की शर्तें

1. नियुक्त कर्मचारियों को तत्परतापूर्वक मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर फिटनेस प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा, यदि स्वास्थ्य परीक्षण में वे शासकीय कार्य हेतु उपयुक्त नही पाये जाते हैं तो उनका यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
2. नियुक्त कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण करने के समय नियुक्ति के पद हेतु आवेदन पत्र में उल्लेखित शैक्षाणिक/तकनीकी योग्यताओं से संबंधित अंकसूची/प्रमाण पत्र मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसे अवलोकन पश्चात तुरंत लौटाया जावेगा तथा इस दस्तावेजों की नोटरी द्वारा सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा।
3. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा एक माह का वेतन व भत्ता देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।
4. नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति उपरांत पुलिस अनुप्रमाणन फार्म की पूर्ति कर शपथ पत्र के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। पुलिस सत्यापन में यदि उन्हें किसी अपराध में संलग्न रहना पाया गया तो उनका यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
6. बिना अनुमति के किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए सीधे आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे, न ही बिना अनुमति के किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होंगे।
7. नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से अधिकतम 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

8. यदि चयन / नियुक्ति के संबंध में कोई असत्य जानकारी / कूटरचित दस्तावेज आदि पाई जाती है अथवा किसी विधि नियम, विनियम का उल्लंघन होना पाया जाता है तो ऐसी नियुक्ति / सेवा तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।

सही/-

(अब्दुल जाहिद कुरैशी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक ७ / एक–13–01 / 2013 **रायपुर, दिनांक 06 अगस्त 2024**

प्रतिलिपि :–

1. स्टेनोग्राफर, न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर की ओर माननीय महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
2. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, रायपुर की ओर नियुक्ति आदेश नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, रायपुर की ओर नियुक्ति आदेश कार्यालय वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।
4. कोर्ट मैनेजर, प्रधान जिला न्यायालय रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. केशवशरण साहू, पिता– श्री कमलेश साहू, पता– ग्राम व पोस्ट– मगरलोटा जिला– राजनांदगाँव (छ.ग.) पिन कोड– 491441
6. दानेश्वर कृष्ण कश्यप, पिता– श्री खेमनाथ कश्यप, जयहिंद नगर, अकलतरा, वार्ड नंबर– 02, जिला– जांजगीर चांपा (छ.ग.) पिन कोड– 495552
7. लेखापाल / लेखा लिपिक / प्रेषक / कार्यालय मोहर्रिर, रायपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अब्दुल जाहिद कुरैशी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छ.ग.)